नियम समिति

286. **नियम समिति**- इस नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन या परिवर्द्धन की सिफारिश करने के लिए एक समिति होगी। नियमावली में संशोधन के लिए सदस्य द्वारा दी गयी सूचना इस समिति को सौंप दी जायेगी और समिति इस पर विचार करके याथोचित सिफारिश करेगी।

287. **समिति का गठन**- (1) नियम समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जायेगी और उसमें समिति के सभापति को मिलाकर ग्यारह सदस्य होंगे। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन मनोनीत समिति एक वर्ष तक या नई समिति नियुक्त होने तक, जो भी बाद में हो, पदाधारण करेगी।

(3) समिति की सिफारिशें पटल पर रखी जायेंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जाये, उससे प्रारंभ होकर सात दिनों की अवधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफरिशों में किसी संशोधनों की सूचना दे सकेंगे।

288. **समिति की सिफारिशों के संबंध में उपबंध**- समिति की सिफारिशों में किसी सदस्य द्वारा दी गई किसी संशोधन की सूचना समिति को निर्दिष्ट होगी जो उस पर विचार करेंगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसे परिर्वतन कर सकेगी। जो समिति उचित समझे। समिति का अंतिम प्रतिवेदन सदस्यों द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् पटल पर रख दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति के किसी सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सभा के सहमत हो जाने पर, नियमों के संशोधन, सभा द्वारा अनुमोदित किये गये रूप में अध्यक्ष द्वारा विधान-सभा विवरणिका में प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

परन्तु यदि किसी संशोधन की सूचना सात दिनों के भीतर न दी गई हो तो समिति की सिफरिशों सभा द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायेगी और उक्त अवधि को समाप्ति पर समिति द्वारा सिफारिश किये गये नियमों के संशोधनों को अध्यक्ष विधान-सभा विवरणिका में प्रकाशित करेंगे।

289. **नियमों या संशोधनों का लागू होना**- जबतक अन्यथा अल्लिखित न हो तो नियमों के संशोधन, विधान सभा विवरणिका में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।